निविदा सूचना कमांक

एम.पी.पी.सी.बी./स्था./02/2018–19

वाहन किराये पर लेने हेतु निविदा

निविदा प्रपत्र का मूल्य	रु. 1500.00
धरोहर राशि	रू. 20000.00
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि तथा समय	12.02.2019, 1.00 बजे दोपहर
निविदा खोलने की तिथि तथा समय	12.02.2019, 3.00 बजे दोपहर

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल –16

दूरभाष : 0755–2466191, वेबसाईटः www.mppcb.nic.in ई.मेल :it_mppcb@rediffmail.com

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल –16

क्रमांक /प्रनिबो/स्था/2018 भोपाल, दिनांक / /2018

निविदा सूचना क्रमांक एम.पी.पी.सी.बी./स्था./02/2018–19

वाहन किराये पर लेने हेतु निविदा

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कार्यालयीन कार्य हेतु मासिक/दैनिक दर पर किराये पर लेटेस्ट मॉडल एवं टेक्सी कोटा के अन्तर्गत वाहन जैसे टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, टोयोटा इटियोज़ ,मारुति सियाज़, मारूती सिफ्ट डिजायर, टाटा इण्डिका विस्टा, टाटा इन्डिगो, (ए.सी.) इत्यादि उपलब्ध करवाने हेतु प्रतिष्ठित ट्रेवल एजेंसियों/संस्थाओं से दरें आमंत्रित की जाती है। इस हेतु वाहन अपेक्षित मापदण्डों के तहत संधारित और चालन की अच्छी स्थिति वाले होने चाहिये ताकि सेवायें सुगम और बिना किसी परेशानी के हो। इच्छुक एजेंसी/फर्म दिनांक 12/02/2019, 1.00 बजे दोपहर तक निविदा जमा कर सकते है जो कि उसी दिनांक को दोपहर 3:00 बजे बोर्ड मुख्यालय में खोली जावेगी। विस्तृत विवरण एवं निविदा प्रपत्र हेतु बोर्ड की वेब साईट www.mppcb.nic.in का अवलोकन करें। निविदा के संबंध मे किसी भी प्रकार का संशोधन समाचार पत्र में प्रकाशित न होकर केवल वेबसाईट पर ही उपलब्ध रहेगा ।

<u>निविदाकार ट्रेवल एजेंसी/संस्था की अनिवार्य अर्हताए :</u>

1. एजेंसी के पास क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का वैध पंजीयन/लायसेन्स होना आवश्यक है। वैध पंजीयन/लायसेन्स की प्रति संलग्न करें।
2. वाहन लेटेस्ट होना चाहिये अर्थात मॉडल अक्टूबर 2018 के पश्चात् का नहीं होना चाहिये, वाहन टेक्सी कोटा के अन्तर्गत रजिस्टर्ड होना आवश्यक है तथा सम्बंधित दस्तावेज कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। उपलब्ध कराया वाहन टेक्सी कोटा के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नहीं होने की स्थिति में भुगतान की कार्यवाही स्थगित कर दी जावेगी तथा किसी भी स्थिति में भुगतान जारी नही किया जावेगा।
3. एजेंसी/संस्था के पास संस्था/एजेंसी का वैध पंजीयन अथवा गुमास्ता लायसेन्स होना आवश्यक है। वैध पंजीयन/लायसेन्स की प्रति संलग्न करें।
4. एजेन्सी/संस्था के पास सर्विस टैक्स/जी.एस.टी. का पंजीयन होना आवश्यक है। वैध पंजीयन की प्रति संलग्न करें।
5. एजेंसी के पास आयकर स्थायी खाता क्रमांक होना आवश्यक है। पेन कार्ड की प्रति संलग्न करें।
6. एजेंसी के पास कम से कम 5 नग वाहन उनके या उनकी फर्म के नाम पर टैक्सी कोटे में पंजीकृत होना आवश्यक होगा। निविदा के साथ पंजीकृत समस्त वाहनों को

पंजीयन, बीमा, रोड टैक्स, परमिट इत्यादि समस्त दस्तावेजों की प्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है।

7. निविदा के साथ धरोहर राशि रू. 20,000/– का बैंक ड्राफ्ट सदस्य सचिव, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल के नाम का जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं की जावेगी। निविदाकारों की धरोहर राशि सफल निविदाकार को कार्यादेश जारी होने के पश्चात वापिस की जावेगी।

उपरोक्त अनिवार्य अर्हता पूर्ण करने वाले निविदाकारों के ही वित्तीय प्रस्ताव खोले जावेंगे।

निविदा के नियम एवं शर्ते –

1. वाहन का मॉडल अक्टूबर 2018 के पश्चात् का होना चाहिये उससे अधिक पुराना नहीं होना चाहिए तथा सभी वाहन टैक्सी कोटे के होने चाहिए। वाहन यथा संभव जी.पी.एस. सुविधायुक्त हो।
2. किराये की अवधि में वाहन में ईंधन (पेट्रोल/डीजल/ऑईल), वाहन चालक सहित प्रदाय की जिम्मेदारी वाहन प्रदायकर्ता की होगी एवं वाहन के संधारण पर होने वाली टूट–फूट, बैटरी, टायर–ट्यूब आदि के व्यय की संपूर्ण जिम्मेदारी भी वाहन प्रदाता की ही होगी।
3. यात्रा के दौरान भोपाल के बाहर भी आवश्यकतानुसार वाहन ले जाया जायेगा। वाहन के ड्रायवर का यह कर्तव्य होगा की उपयोगकर्ता के अधिकारी के आदेश का पालन करें।
4. वाहन सेल्फ स्टार्ट होना आवश्यक है। वाहन में अच्छी स्टेपनी अनिवार्य रूप से हो तथा चारों पहियें के टायर–ट्यूब अच्छे होना चाहिये व माईलो मीटर चालू हालत में होना अनिवार्य है। इसकी जिम्मेदारी वाहन प्रदाता की होगी।
5. वाहन ड्रायवर के पास नियमानुसार वाहन चालन का कम से कम 3 वर्ष पुराना वैध ड्रायविंग लायसेंस होना आवश्यक है। साथ ही वाहन चालक के पास मोबाईल सुविधा अनिवार्य है।
6. वाहन प्रदाता के ड्रायवर को वाहन का बीमा, रजिस्ट्रेशन एवं ड्रायविंग लायसेंस इत्यादि से संबंधित कागजात हमेशा वाहन में रखने आवश्यक होंगें। वाहन टैक्स पेड एवं वाहन प्रदाता के स्वामित्व में रहना चाहिये। किसी प्रकार की दुर्घटना एवं विवाद के निराकरण का उत्तरदायित्व वाहन प्रदाता का होगा एवं समस्त व्यय वहन करेगा। कोई वैधानिक क्षतिपूर्ति न्यायालय द्वारा तय की जाती है तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी वाहन प्रदाता की होगी।
7. रास्ते में वाहन खराब होने की स्थिति में उपयोगकर्ता अधिकारी को सामान्यतः दो घण्टें में सुधार कराकर उपयोग हेतु वाहन उपलब्ध कराना होगा। इस दो घण्टे से अधिक वाहन खराब रहने पर उस दिन का किराया नहीं दिया जावेगा। वाहन के

खराब होने के स्थान से गैराज तक लाने का दायित्व वाहन प्रदाता का होगा। खराब होने की स्थिति में वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी वाहन प्रदाता की होगी।

8. वाहन प्रदाता को मांग अनुसार वाहन प्रदाय करना अनिवार्य होगा।
9. वाहन चालक द्वारा संबंधित वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी व वाहन प्रभारी से प्रतिदिन मीटर रीडिंग के अनुसार की गई यात्रा का प्रमाणीकरण लॉगबुक में कराना होगा। प्रमाणित लॉगबुक की प्रतिलिपि देयक के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. माईलो मीटर की गड़बड़ी अथवा अन्य किसी कारण से निर्धारित दूरी से अधिक दूरी दर्शाये जाने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा सड़क मार्ग की निर्धारित दूरी अनुसार मान्य किया जावेगा।
11. वाहन प्रदायकर्ता को स्वीकृत आदेश प्राप्ति के उपरांत मांग एवं आवश्यकतानुसार मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मय ड्रायवर के वाहन निर्धारित स्थान पर भेजना होगा, अन्यथा स्वीकृति निरस्त कर दी जावेगी।
12. वाहन चालक को देय वेतन एवं अन्य खर्च वाहन प्रदायकर्ता स्वयं वहन करेगा।
13. संस्था द्वारा यदि अन्य किसी विभागों में पूर्व में कार्य किया गया है तो उसका प्रमाण सहित उल्लेख करें।
14. आवेदन में नाम एवं पता स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिये।
15. निविदा स्वीकार करने व अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय अध्यक्ष, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल का होगा। यह निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
16. वाहन को किसी भी समय हटाने का पूर्ण अधिकार अध्यक्ष, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल के पास सुरक्षित रहेगा।
17. मान्य दरें आगामी दो वर्ष के लिये लागू रहेगी तथा इस हेतु निविदाकार द्वारा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल से एक अनुबंध किया जाना आवश्यक होगा यदि सेवायें संतोषप्रद रहती है तो अध्यक्ष, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल के आदेशानुसार एग्रीमेंट और दो साल के लिये बढ़ाया जा सकेगा।
18. नियमों के अनुसार टी.डी.एस. की कटौती भुगतान के समय की जायेगी। देयक राशि पर शासन द्वारा निर्धारित जी.एस.टी. का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। इस हेतु देयक के साथ जी.एस.टी. सहित जमा किये गये जी.एस.टी. का चालान व रिटर्न की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना होगी। वाहन सेवा हेतु देय टोल, राज्य टेक्स, पार्किंग आदि का भुगतान देयक के साथ रसीद जमा करने पर किया जायेगा।
19. निविदा प्रपत्र रुपये 1500/– (रु. एक हजार पाँच सौ मात्र) नगद मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की लेखा शाखा मे जमा कर कार्य दिवस मे कार्यालयीन समय में लेखा शाखा से प्राप्त किये जा सकते है। निविदा प्रपत्र को बोर्ड की वेबसाईट से डाउनलोड किये जाने की स्थिति में रु. एक हजार पाँच सौ मात्र का डिमांड ड्राफ्ट जो कि सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नाम से देय होगा, प्रथम लिफाफे मे जमा करना होगा। निविदा प्रपत्र का शुल्क किसी भी रूप

मे वापस नही किया जायेगा। प्रथम लिफाफे मे संस्था द्वारा धरोहर राशि रुपये 20000/- (रु. बीस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट, निविदा प्रपत्र के मूल्य का बैंक ड्राफ्ट अथवा मनी रसीद व तकनीकी प्रस्ताव मय दस्तावेज तथा द्वितीय लिफाफे में वित्तीय प्रस्ताव सील बंद कर प्रस्तुत करने होंगें। दोनो लिफाफे एक बडे लिफाफे में रख कर सील बंद कर प्रस्तुत किये जाना आवश्यक है। लिफाफे के ऊपर वाहन किराये पर लेने हेतु निविदा तथा निविदाकार का नाम व पता लिखा होना अनिवार्य होगा।

20. वाहन चालक को बोर्ड द्वारा निर्धारित यूनीफार्म वाहन प्रदाता द्वारा प्रदान किया जायेगा।

21. मासिक किराये पर लिये जाने वाले वाहन को 2000 किलोमीटर एवं 1500 किलोमीटर प्रतिमाह के हिसाब से लिया जायेगा। इससे अधिक चालन होने पर अतिरिक्त प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान किया जायेगा। इसके लिए पृथक से प्रति किलोमीटर की दर का उल्लेख वित्तीय प्रस्ताव में किया जाये।

22. वाहन मासिक/दैनिक रूप से किराये में संबद्ध रहेंगे तथा इन्हें आवश्यकतानुसार मुख्यालय के बाहर भी भेजा जा सकता है। दैनिक किराये पर लिये जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन 80 किलोमीटर के हिसाब से लिया जावेगा। इससे अधिक वाहन चलाने पर अतिरिक्त किलोमीटर की दर से भुगतान किया जावेगा। इस हेतु पृथक से दरें दी जाना होगी।

23. सशर्त निविदा पर विचार नही किया जावेगा । प्राप्ति दिनांक से 360 दिवस तक वैद्य होगी ।

24. सफल निविदाकार को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुबंध करना होगा तथा रुपये 50000/- (रु. पचास हजार मात्र) की राशि का बेंक ड्राफ्ट, जो कि सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पक्ष में देय हो, निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) के रूप में जमा कराना होगा तथा जो कि अनुबंध अवधि के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर बिना ब्याज के वापसी योग्य होगा।

25. रात्रि में वाहन की पार्किंग का निर्णय पूर्णतः प्रभारी अधिकारी पर निर्भर होगा।

प्रशासकीय अधिकारी
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

भोपाल

निविदा सूचना कमांक एम.पी.पी.सी.बी./स्था./02/2018–19

वाहन किराये पर लेने हेतु निविदा

घोषणा पत्र

मैं .... मेसर्स...................................... के लिए/की ओर से घोषणा करता हूँ कि :–

1. मेरे द्वारा मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निविदा क्रं. .... दिनांक............. .... की समस्त शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है तथा निविदा की समस्त शर्तें स्वीकार है।
2. एजेंसी के चयन में अध्यक्ष, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा तथा हमें स्वीकार होगा।
3. हमारे द्वारा निविदा प्रपत्र में प्रदान की गई समस्त जानकारी एवं अभिलेख सत्य एवं प्रमाणित है।
4. हमारे द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी एवं अभिलेखों के बारे में अगर कोई पूछताछ की जाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।
5. मेरे अथवा हमारे कोई भी नजदीकी रिश्तेदार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कार्यरत नहीं है।

स्थानः
दिनांकः

निविदाकार के हस्ताक्षर
एजेंसी का नाम

एजेंसी की सील

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल –16

वाहन किराये पर लेने हेतु तकनीकी प्रस्ताव (प्रथम लिफाफा)

स.क्र.	वांछित विवरण	एजेंसी से संबंधित जानकारी
1	एजेंसी का नाम तथा संस्था का स्वरूप (प्रोपराईटरी / पार्टनरशिप फर्म / पब्लिक लि. कम्पनी / प्राईवेट लि. कम्पनी)	
2	एजेंसी का पता एवं मोबाईल / टेलीफोन नं.	
3	मालिक / संचालन / पार्टनर / प्रोपराईटर का नाम एवं मोबाईल / टेलीफोन नं.	
4	सम्पर्ककर्ता अधिकारी का नाम एवं मोबाईल / टेलीफोन नं.	
5	एजेंसी की स्थापना का वर्ष एवं पंजीयन क्रमांक (पंजीयन की प्रति संलग्न करें)	
6	एजेंसी का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का पंजीयन / लायसेंस क्रमांक (पंजीयन / लायसेंस की प्रति संलग्न करें)	
7	सुरक्षा एजेंसी के सर्विस टैक्स / जी.एस.टी. का पंजीयन क्रमांक (पंजीयन की प्रति तथा नवीनतम चालान की प्रति संलग्न करें)	
8	एजेंसी का आयकर– पैन नम्बर (पैन नम्बर की प्रति संलग्न करें)	
9	एजेंसी के पास उपलब्ध उनके या उनकी फर्म के नाम पर टैक्सी कोटे में पंजीकृत वाहनों की संख्या कम से कम 5 वाहनों के पंजीयन, बीमा, रोड टैक्स, परमिट इत्यादि समस्त दस्तावेजों की प्रति संलग्न करें।	
10.	एजेंसी का बेंक विवरण जैसे आर.टी.जी.एस. इत्यादि की जानकारी	
10	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं धरोहर राशि का विवरण	
अ.	निविदा प्रपत्र का मूल्य – रूपये 1500/–	डिमांड ड्राफ्ट नं. .... बैंक एवं शाखा का नाम ....

. .		दिनांक
ब.	धरोहर राशि– रूपये 20,000/–	डिमांड ड्राफ्ट नं. .... बैंक एवं शाखा का नाम .... दिनांक

महत्वपूर्ण सूचनायें :–

1. निविदा प्रपत्र एवं तकनीकी प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों को अधिकृत व्यक्ति द्वारा स्व प्रमाणित होना चाहिए तथा तकनीकी प्रस्ताव में दर्शायें क्रम अनुसार प्रत्येक पेज पर पृष्ठ क्रमांक अंकित कर दस्तावेज को बाइंड कर प्रस्तुत करना आवश्यक है।
2. तकनीकी प्रस्ताव निविदा प्रपत्र के निर्धारित शर्तों के अनुसार तैयार कर आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
3. एजेंसी को इस आशय का एक नोटरीकृत शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा दी गई समस्त जानकारी एवं दस्तावेज सही एवं सत्य है तथा एजेंसी को किसी भी शासकीय तथा अशासकीय संस्था द्वारा न तो अयोग्य पाया गया है अथवा घोषित किया गया है। भविष्य में कोई जानकारी यदि असत्य पाई जाती है तो उनकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी। निरस्त करते हुए धरोहर राशि/सुरक्षा राशि राजसात कर ली जायेगी।

स्थान

दिनांक

निविदाकार के हस्ताक्षर

एजेंसी का नाम

एजेंसी की सील

वाहन किराये पर लेने हेतु वित्तीय प्रस्ताव (द्वितीय लिफाफा)

अ – (ए.सी.) वाहन किराये पर उपलब्ध कराने हेतु ईंधन सहित दर

विवरण	वाहन के प्रकार मॉडल समेत					
	1	2	3	4	5	6
प्रतिमाह 2000 कि.मी. चालन						
दर अतिरिक्त प्रति किलोमीटर						
मुख्यालय के बाहर होने पर प्रतिदिन रात्रि विश्राम दर						

ब – (ए.सी.) वाहन किराये पर उपलब्ध कराने हेतु ईंधन सहित दर

विवरण	वाहन के प्रकार मॉडल समेत					
	1	2	3	4	5	6
प्रतिमाह 1500 कि.मी.चालन						
दर अतिरिक्त प्रति किलोमीटर						
मुख्यालय के बाहर होने पर प्रतिदिन रात्रि विश्राम दर						

स – (ए.सी.) वाहन किराये पर उपलब्ध कराने हेतु ईंधन सहित दर

विवरण	वाहन के प्रकार मॉडल समेत					
	1	2	3	4	5	6
प्रतिदिन 8 घन्टे में 40 किलोमीटर की दर						
दर अतिरिक्त प्रति किलोमीटर						
दर प्रति अतिरिक्त घंटा						
रात्रि विश्राम दर						

स – (ए.सी.) वाहन किराये पर उपलब्ध कराने हेतु ईंधन सहित दर

विवरण	वाहन के प्रकार मॉडल समेत					
	1	2	3	4	5	6
भोपाल से बाहर होने पर प्रतिदिन 12 घन्टे व 200 किलोमीटर चालन की दर						
दर अतिरिक्त प्रति किलोमीटर						
दर प्रति अतिरिक्त घंटा						
रात्रि विश्राम दर						

स्थान

दिनांक

निविदाकार के हस्ताक्षर

एजेंसी का नाम

एजेंसी की सील

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल –16

चेक लिस्ट

स. क्र.	वांछित विवरण	हाँ / नहीं	पेज नं.
	प्रथम लिफाफा		
1.	निविदा प्रपत्र का मूल्य की डीडी / मनी रसीद		
2.	धरोहर राशि की डीडी		
3.	एजेंसी की स्थापना का पंजीयन प्रमाण–पत्र की छायाप्रति		
4.	एजेंसी का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के पंजीयन / लायसेंस की छायाप्रति		
5.	सुरक्षा एजेंसी के सर्विस टैक्स / जी.एस. टी. पंजीयन की छायाप्रति		
6.	एजेंसी का आयकर– पैन नम्बर कार्ड की छायाप्रति		
7.	एजेंसी के पास उपलब्ध उनके या उनकी फर्म के नाम पर टैक्सी कोटे में पंजीकृत वाहनों के पंजीयन, बीमा, रोड टैक्स, परमिट इत्यादि दस्तावेजों की प्रति		
	द्वितीय लिफाफा		
1.	वाहन किराये पर लेने हेतु वित्तीय प्रस्ताव		

स्थान

हस्ताक्षर

दिनांक

निविदाकार के

एजेंसी का नाम

एजेंसी की सील